"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 107] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 3 मई 2012—वैशाख 13, शक 1934

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 मई 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-1/2008/1-7.—छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम, 2002 (क्रमांक 30 सन् 2002) की धारा 17 सहपठित धारा 13 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, प्रमुख लोकायुक्त के परामर्श से, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक आयोग कार्यालय सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2009 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

अनुसूची के सरल क्रमांक 8-क के कॉलम (6) की प्रविष्टि क्रमांक 2 में, अंक "120" तथा "30" के स्थान पर अंक "100" तथा "35" प्रतिस्थापित किया जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 3 मई 2012

क्रमांक एफ 4-1/2008/1-7.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-1/2008/1-7 दिनांक 3 मई, 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 3rd May 2012

NOTIFICATION

No. F 4-1/2008/1-7.—In exercise of the powers conferred by section 17 read with sub-section (2) of section 13 of the Chhattisgarh Lok Aayog Adhiniyam, 2002 (No. 30 of 2002), the State Government in consulation with the Pramukh Lokayukt, hereby, makes the following further amendment to the Chhattisgarh Lok Aayog, Karyalaya Service (Recruitment and Service Conditions) Rules, 2009, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

In entry number 2 of column number (6) of serial number 8-A of the Schedule, for the figures "120" and "30", the figures "100" and "35" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISHRA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.